न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बूंदी

A 6/1

...ीन अधिकारी– अमानुल्लाह खान,
आर.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
3 / निगरानी / 15	01.06.2015	07.04.2021

रामनिवास आ0 रामनारायण जाति ब्राह्मण निवासी बून्दी का गोठड़ा ग्राम पंचायत बून्दी का गोठड़ा पंचायत समिति हिण्डोली जिला बून्दी।

–निगराकार

बनाम

1. मुस0 बरजी बाई विधवा स्व0 दुर्गाशंकर शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम बून्दी का गोठड़ा ग्राम पंचायत बून्दी का गोठड़ा पंचायत समिति हिण्डोली जिला बून्दी।
2. सरपंच, ग्राम पंचायत बून्दी का गोठड़ा पंचायत समिति हिण्डोली तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
3. सचिव, ग्राम पंचायत बून्दी का गोठड़ा पंचायत समिति हिण्डोली तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।

–गैरनिगराकार

उपस्थित–

निगराकार की ओर से – श्री गिरधर गोपाल शर्मा एड0
गैरनिगराकार संख्या 1 की ओर से – श्री संजय कुमार जैन एड0
गैरनिगराकार संख्या 2 व 3 के विरूद्ध – एकपक्षीय कार्यवाही

निर्णय

यह निगरानी निगराकार द्वारा अंतर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत ग्राम पंचायत बून्दी का गोठड़ा द्वारा जारी आवासीय भूमि का पट्टा संख्या 7928 दिनांक 01.09.2014 को निरस्त करने हेतु प्रस्तुत की गई हैं। निगरानी प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर गैरनिगराकार को तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। गैरनिगराकार संख्या 2 व 3 बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नहीं होने से इनके विरूद्ध दिनांक 03.03.2021 को एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये हैं।

बहस उभयपक्ष समाअत की गई।

अभिभाषक निगराकार ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि गैरनिगराकार क्रम संख्या 1 के पक्ष में गैरनिगराकार क्रम संख्या 2 व 3 द्वारा पट्टा संख्या 7928 दिनांक 01.09.2014 को जारी किया गया हैं। उक्त पट्टा गैरनिगराकार संख्या 1 के पक्ष में पद का दुरूपयोग करते हुये बदनियती से निगराकार को क्षति कारित करने तथा गैरनिगराकार को लाभ पंहुचाने के उद्धेश्य से निगराकार के आधिपत्य व स्वामित्व के नोहरे पर बने मकाने के उत्तरी भाग के पश्चिमी कोने पर बने आवागमन के रास्ते जो गैरनिगराकार के मकान व चौथमल आ0 किशनलाल जैन के मध्य बने रास्ते पर गैरनिगराकार का पंचायत

अति0 जिला कलक्टर

A 6/2

1996 के प्रारंभ होने की तारीख से पिछले 50 वर्षों से पुराना मकान बना होना ... कब्जा बताकर अवैधानिक रूप से उत्तर की ओर 21 फिट, दक्षिण की ओर 20 ... पूर्व की ओर 16.8 फिट, पश्चिम की ओर 21 फिट माप का पट्टा जारी कर दिया ... उक्त ग्राम पंचायत द्वारा पट्टे के तथ्य फर्जी, विधान के विपरीत निगराकार की व्यक्तिगत संपत्ति को ग्राम पंचायत गोठड़ा की बताकर गैरनिगराकार के पक्ष में पट्टा जारी कर दिया गया हैं। निगराकार के अधिपत्य में जो नोहरे की भूमि हैं, उसके पूर्व स्वामी रामचन्द्र आ0 मांगीलाल माली निवासी गोठड़ा थे। निगराकार ने उक्त नोहरे को प्रतिफल लेकर उसके पूर्व स्वामी श्री रामचन्द्र से निगराकार द्वारा खरीद किया गया हैं। उक्त नोहरे के स्थान को नवनिर्मित किया जा रहा हैं। नोहरे में प्रारंभ से ही पूर्वी भाग व उत्तरी पश्चिमी भाग पर रास्ते बने रहे हैं, जिनका उपयोग निरंतर किया जाता रहा हैं। गैरनिगराकार रास्ते की भूमि पर निर्माण कराने पर आमादा हैं, जिस पर उसका कोई अधिकार नहीं हैं। गैरनिगराकार को पट्टा जारी किये जाने से पूर्व कोई वैधानिक प्रक्रिया नहीं अपनाई गई हैं, न ही आपत्ति ग्राम पंचायत द्वारा सार्वजनिक की गई हैं। दिनांक 22.05.2015 को निगराकार ने नोहरे के उत्तरी पश्चिमी भाग पर बड़ा गेट लगाने के लिये, निर्माण प्रारंभ करने पर प्रथम बार गैरनिगराकार द्वारा निगराकार को उक्त स्थान का पट्टा गैरनिगराकार क्रम संख्या 1 के पक्ष में दिनांक 01.09.2014 को जारी हो जाने का ज्ञान कराने व निर्माण में बाधा पंहुचाने पर प्रथम बार ज्ञान होने से प्रस्तुत निगरानी अन्दर अवधि प्रस्तुत हैं। अतः निगरानी निगराकार स्वीकार फरमाई जाकर गैरनिगराकार संख्या 1 के पक्ष में गैरनिगराकार संख्या 2 व 3 द्वारा जारी पट्टा संखा 7928 दिनांक 01.09.2014 को निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान करे। वकील निगराकार ने अपने कथनों के समर्थन में आरएलडब्ल्यू 2017 पेज 221, आरएलडब्ल्यू 2013 पेज 2753 की नजीरें प्रस्तुत की गई।

वकील गैरनिगराकार क्रम संख्या 1 ने दोहराने बहस तर्क प्रस्तुत किये कि गैरनिगराकार क्रम संख्या 2 व 3 ने पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाई जाकर वैधानिक रूप से पट्टा संख्या 7928 दिनांक 01.09.2014 गैरनिगराकार संख्या 1 को जारी किया गया हैं। गैरनिगराकार संख्या 1 का वार्ड 10 में क्षतिग्रस्त कच्चे मकान का खंडर था, जो पुरानी भूमि हैं तथा गैरनिगराकार के आधिपत्य की हैं। उक्त भूमि के संबंध में जो आवासीय पट्टा जारी किया गया हैं, उससे कोई अवरोध उत्पन्न नहीं होता हैं। उक्त भूमि रास्ते की नहीं होकर आवास हेतु उपलब्ध भूमि हैं। अतः निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज कर पट्टा संख्या 7928 दिनांक 01.09.2014 को यथावत रखा जाता हैं।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन कर बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। हस्तगत प्रकरण में यह तथ्य प्रकट हैं कि गैरनिगराकार संख्या 1 को ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा संख्या 7928 दिनांक 01.09.2014 को जारी किया गया हैं, जिसका भू माप 20x20x16.08x21=376.08 वर्गफिट हैं। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से यह जाहिर आया कि गैरनिगराकार संख्या 1 द्वारा पट्टा जारी करने हेतु दिनांक 09.03.2012 को आवेदन किया गया। सरपंच द्वारा आवेदन पत्र की पुश्त पर आदेशित किया गया कि नियमानुसार कोरम द्वारा मौका देखा जाकर मौका रिपोर्ट कोरम के समक्ष पेश करके कोरम के निर्णय अनुसार पट्टा जारी करने की स्वीकृति दी जाती हैं। दिनांक 17.03.2012 को स्थल निरीक्षण रिपोर्ट (मौका रिपोर्ट) तैयार की गई हैं, जिस पर 2 वार्ड पंचों के हस्ताक्षर अंकित हैं। स्थल निरीक्षण रिपोर्ट पर सरपंच ग्राम पंचायत बून्दी का गोठड़ा के हस्ताक्षर भी अंकित हैं। तत्पश्चात ग्राम पंचायत द्वारा आबादी भूमि के प्रस्तावित विक्रय/पुराने मकानों के नियमतिकरण के संबंध में आक्षेप आमंत्रित करने का नोटिस दिनांक 20.03.2012 जारी किया गया हैं। दिनांक 09.04.2013 तक गैरनिगराकार संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत आवेदन के

अति० जिला कलक्टर

आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम सभा में प्रस्ताव संख्या 10 ...कर पट्टा पत्रावली एवं पट्टे का अनुमोदन किया गया। प्रस्ताव संख्या 10 ... 09.04.2013 की अनुपालना में दिनांक 01.09.2014 को गैरनिगराकार संख्या 1 के ... में पट्टा संख्या 7928 दिनांक 01.09.2014 जारी किया गया हैं। निगराकार का यह कथन कि जिस भूमि पर आवासीय पट्टा जारी किया गया हैं, वह भूमि आम रास्ते की हैं इस संबंध में निगराकार द्वारा ऐसा कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली में प्रस्तुत नहीं किया गया हैं, जिससे यह साबित होता हो कि ग्राम पंचायत द्वारा गैरनिगराकार संख्या 1 को आम रास्ते की भूमि का पट्टा जारी कर दिया हो। ग्राम पंचायत द्वारा संपूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाई जाकर विवादित भूखण्ड का पट्टा जारी किया गया हैं। पंचायत द्वारा आपत्ति नोटिस भी जारी किया गया हैं, यदि निगराकार को कोई आपत्ति होती तो वह तत्समय अपनी आपत्ति निर्धारित अवधि में ग्राम पंचायत को प्रस्तुत कर सकता था। यहां यह उल्लेखनीय हैं कि विवादित आवासीय पट्टा ग्राम पंचायत गोठड़ा द्वारा भूमि खसरा संख्या 2846 रकबा 91 बीघा 6 बिस्वा वाके ग्राम गोठड़ा में से जारी किया गया हैं। जमाबन्दी संवत् 2066 से 2069 वाके ग्राम गोठड़ा के मुताबिक उक्त भूमि गैर मुमकिन आबादी में दर्ज हैं, जो निवास या वास हेतु उपलब्ध भूमि थी। प्रस्तुत प्रकरण में निगराकार की संपूर्ण आपत्तियां पूर्ण नहीं होने से स्वीकार योग्य नहीं हैं, साथ ही वकील निगराकार द्वारा प्रस्तुत नजीरें इस प्रकरण में चस्पा नहीं होती हैं।

अतएवः परिणामस्वरूप निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाकर ग्राम पंचायत बून्दी का गोठड़ा द्वारा जारी पट्टा संख्या 7928 दिनांक 01.09.2014 यथावत रखा जाता हैं। पत्रावली फैसलें में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय निर्णय प्रति के भिजवाये जावे।

निर्णय आज दिनांक 07.04.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अमानुल्लाह खान)
अति0 जिला कलक्टर,
बूंदी

अति0 जिला कलक्टर
बून्दी (राज0)